न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र. (आपराधिक प्रक.क. :— 827 / 2014) (संस्थित दिनांक :— 16 / 09 / 14)

> म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— गोहद। जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

// विरूद्ध //

- 01. गौरीशंकर खटीक पुत्र रामचरन खटीक उम्र 38 वर्ष
- 02. आशीष खटीक पुत्र गौरीशंकर खटीक उम्र 22 वर्ष
- 03. राहुल खटीक पुत्र हरीबाबू खटीक उम्र 26 वर्ष
- 04. कल्लू उर्फ कल्ला पुत्र रामस्वरूप खटीक उम्र 31 वर्ष
- 05. ब्रजेश खटीक पुत्र राजेन्द्र खटीक उम्र 36 वर्ष
- 06. दीपू खटीक पुत्र जगदीश खटीक उम्र 25 वर्ष
- 07. गाड़ेराम खटीक पुत्र रामचरन खटीक उम्र 36 वर्ष निवासीगण :— खटीक मौहल्ला गोहद, थाना—गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 21/09/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, ब्रजेश, दीपू एवं गाड़ेराम पर भा.द.सं. की धारा 148, 294, 323/149, 324/149, 325/149 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 14/08/2014 को सुबह लगभग 08:00 बजे बस स्टेण्ड़ जेल रोड़ गोहद में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी प्रताप, जितेन्द्र, प्रदीप दिलीप, सुदामा को मॉ—बिहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हॉकी, सिरया लाठी एवं धारिया से सुसिज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण प्रताप, जितेन्द्र, प्रदीप दिलीप, सुदामा की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने उक्त आहतगण की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की, अभियुक्तगण ने आहतगण दिलीप एवं जितेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की, अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने आहत सुदामा की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी प्रताप को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 14/08/2014 को सुबह लगभग 08:00 बजे बस स्टेण्ड जेल रोड गोहद में, आरोपीगण द्वारा फरियादी प्रताप, जितेन्द्र, प्रदीप दिलीप, सुदामा से गाली-गलौच कर हॉकी, सरिया लाठी एवं धारिया से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी प्रताप द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद पर की जाने पर थाना गोहद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 274 / 2014 अन्तर्गत धारा १४७, १४८, १४९, २९४, ३२३, ३२४ एवं ५०६ भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आहत सुदामा के एक्स–रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपींगण के विरूद्ध धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक बनाया गया। आरोपीगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला एवं ब्रजेश से एक-एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपींगण दीपू एवं गाड़ेराम से एक–एक सरिया जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी प्रताप, आहतगण जितेन्द्र, प्रदीप दिलीप, सुदामा एवं साक्षीगण तहसीलदार, पान सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 04. अभियुक्तगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, ब्रजेश, दीपू एवं गाड़ेराम पर भा.द.सं. की धारा 148, 294, 323/149, 324/149, 325/149 एवं 506 भाग।। का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण प्रताप, सुदामा, दिलीप एवं जितेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/149, 325/149, एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंसा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :— 14/08/2014 को सुबह लगभग 08:00 बजे बस स्टेण्ड़ जेल रोड़ गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हॉकी, सरिया लाठी एवं धारिया से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा किया?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत प्रदीप की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने प्रदीप की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण दिलीप एवं जितेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की?

04. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> <u>विचारणीय बिन्दु कमांक :– 01 लगायत 03</u>

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

फरियादी प्रताप सिंह अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण गांडेराम, आशीष, कल्लू, दीपू, गौरीशंकर, रामचरन, ब्रजेश एवं राहुल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 30 / 01 / 2017 से लगभग दो-ढाई साल पुरानी है। साक्षी आगे कहता है कि वह सरकारी मोटर से पानी भरने गया था, तभी आरोपीगण से उनका पानी को लेकर मुँहवाद हो गया था, जिस पर से आरोपीगण गाड़ेराम, आशीष, कल्लू, दीपू ने उसकी, दिलीप, सुदामा एवं जितेन्द्र की मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए स ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र. पी.02 बनाया था, जिसके ए स ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी प्रताप सिंह अ.सा.०1 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक :- 14 / 08 / 2014 को सुबह लगभग 08:00 बजे बस स्टेण्ड जेल रोड़ गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हॉकी, सरिया लाठी एवं धारिया से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा करने, आरोपीगण द्व ारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत प्रदीप की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित करने एवं आरोपीगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण दिलीप एवं जितेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बतायां है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी प्रताप सिंह अ.सां.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पृलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

09. आहतगण दिलीप अ.सा.02, जितेन्द्र अ.सा.03, सुदामा अ.सा.04 एवं प्रदीप अ.सा. 06 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक :— 14/08/2014 को सुबह लगभग 08:00 बजे बस स्टेण्ड़ जेल रोड़ गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हॉकी, सरिया लाठी एवं धारिया से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा करने, आरोपीगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत प्रदीप की मारपीट कर उसे स्वेच्छया

उपहतियाँ कारित करने एवं आरोपीगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण दिलीप एवं जितेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

- 10. आरोपीगण एवं फरियादी / आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी प्रताप अ.सा.01, दिलीप अ.सा.02, जितेन्द्र अ.सा.03, सुदामा अ.सा.04 एवं प्रदीप अ.सा.06 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 11. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :— 14/08/2014 को सुबह लगभग 08:00 बजे बस स्टेण्ड़ जेल रोड़ गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हॉकी, सरिया लाठी एवं धारिया से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा किया, आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत प्रदीप की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने प्रदीप की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहितयाँ कारित की एवं आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण दिलीप एवं जितेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहितयाँ कारित की।
- 12. अभियोजन आरोपीगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, ब्रजेश, दीप एवं गाड़ेराम के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 148, 323 / 149 एवं 324 / 149 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 148, 323 / 149 एवं 324 / 149 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 13. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 14. प्रकरण में आरोपीगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, ब्रजेश, दीप एवं गाड़ेराम से जब्तशुदा लाठियाँ एवं सरिया मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अविध पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद